

2

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज एजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जारिय
सम्पन्न तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 स्वयं न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के
वाद को स्वीकार करते हुए डेकलरेशन दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन
किया की वाद मुझे उम्मीद है कि नाम से दर्ज है जिसका देहान्त हो चुका है जिसके
जायज व कार्गुनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता
5, 7 जो वादी की बहन/बुआ एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री/बहन है ने निवेदन किया
की उन्होंने अपने एक हिस्सा की भूमि को अपने माँ/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के एक हिस्सा की भूमि को
उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे जो कुछ हिस्सा तक तो आज कल आज कल
करते रहे किन्तु अन्य में इन्कार हो गया इसलिए यह वाद पेश किया गया है।
अतः वादी का वाद हिक्की किया जाकर धीमा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो
वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 6 बहिब के खातेदार
काइलकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद हिक्की करमाया
जावे।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के एक हिस्सा की भूमि को
उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे जो कुछ हिस्सा तक तो आज कल आज कल
करते रहे किन्तु अन्य में इन्कार हो गया इसलिए यह वाद पेश किया गया है।
अतः वादी का वाद हिक्की किया जाकर धीमा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो
वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 6 बहिब के खातेदार
काइलकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद हिक्की करमाया
जावे।

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जारिय अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत
राजस्थान काइलकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया
की वही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 161/153 के खसरा नं 10 18/2 की 2,3,4,100
,30/8,7,260,30/1 की 0,3,8,70,141/1 की 4,6,660, खसरा नं 10 142/2 की 3,9,200 हैव
कुल 20,01,90 हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा सहीराम के नाम से दर्ज है।
वादी के दादा का देहान्त हो चुका जिसके जायज व कार्गुनी वारिस वादी एवं
प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ही है जो वादी के दादा की सम्पत्ति के जायज वारिसान है
प्रतिवादी संख्या 2 ता 5, 7 वादी की बहन/बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री
बहन है प्रतिवादी संख्या 2, ता 5, 7 की श्रादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5, 7
ने अपने एक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 6 के पक्ष में किया जा
चुका है। इसलिए वाद मुझे उम्मीद है कि नाम से दर्ज भूमि की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 6 का
बराबर का एक हिस्सा है।

निर्णय दिनांक - 18/03/2020

उपस्थित श्री रामकृष्ण बनीवाल अधिवक्ता वादी
प्रकार राज

राजस्थान काइलकारी अधिनियम 1955 की धारा 88
प्रतिवादीगण

1. सुधराम पुत्र सहीराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला
2. सरवती 3. मीरा 4. सन्तोष कुमारी 5. गोमती पुत्रीयान सहीराम जाति जाट निवासी
दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. मानीराम पुत्र सुधराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
7. दर्शना पुत्री सुधराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर।
8. राजस्थान सरकार जारिय तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

बनाम

वादी

1. जितेंद्र कुमार पुत्र सुधराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला
हनुमानगढ़।

अनवान :-

वाद सं० : 712 सन 2019

पीठस्थीन अधिकारी का नाम : श्री श्री शंभू कांवर (आर०ए०ए०एस०)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

गस्टीक क्रिया जाकर शमित क्रिया जा चुका है।
 का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थ्यन से ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो
 हिस्सा की भीम है जिस उतक नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार
 पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भीम वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 6 के एक
 क्रिया की उन्हीने अपने एक हिस्सा की भीम का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 6 के
 ता 5, 7 स्वयं न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन
 अपने एक हिस्सा की भीम का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 2,
 वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 2 ता 5, 7 जो वादी की बहन/बुआ है ने
 संख्या 1 ता 7 बराबर के एकदार है

साबित है जिसके समर्थन में कोई ऐतराज नहीं है अर्थात वाद भीम के वादी एवं प्रतिवादी
 वादिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 है जो प्रस्तुत मूल्य एवं वारिस प्रमाण पत्र से
 वादी के दादा सहोराम पुत्र रामरख का देहान्त ही चुका है सहोराम के जायज
 कुल 20.0190हैव भीम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा सहोराम के नाम से दर्ज है।
 अर्जुन राही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 161/153 के खसरा नं० 18/2 की 2.3400
 हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पक्षों की अवलोकन क्रिया प्रस्तुत रिकार्ड के
 निस्तारण करमावे।


क्रिया है वादी के साक्ष्य सचुती के आधार पर राज्यद्वारा को सुरक्षित रखते हुए वाद का
 परीकार राज ने निवेदन क्रिया की वादी ने दादासाह/पुत्रक सम्पत्ति का वाद पेश
 जावे।

के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद हिकी करमाया
 646 प्रस्तुत कर निवेदन क्रिया की कोई भी खातेदार काशतकार आपसी सहमति / राजीनामा
 के समर्थन में न्यायाधिक दखलाने आर.बी.जी. 1998 पृज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पृज
 क्रिया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के समर्थन में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों
 वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 में स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश
 जिस राजस्व रिकार्ड में दर्ज करमा पान के अधिकायी है।
 चुका है। इसलिये वाद भीम वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 6 का बराबर का एक हिस्सा है
 ने अपने एक हिस्सा की भीम का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 6 के पक्ष में किया जा
 बहन है प्रतिवादी संख्या 2, ता 5, 7 की वादी ही चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5, 7
 प्रतिवादी संख्या 2 ता 5, 7 वादी की बहन/बुआ है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री
 प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ही है जो वादी के दादा की सम्पत्ति के जायज वादिसान है
 वादी के दादा का देहान्त ही चुका जिसके जायज व कानूनी वारिस वादी एवं
 से दर्ज है।

3.9200हैव कुल 20.0190हैव भीम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के दादा सहोराम के नाम
 की 2.3400, 30/8.7260, 30/1 की 0.3870, 141/1 की 4.6660, खसरा नं० 142/2 की
 हुए निवेदन क्रिया की राही मौजा दुर्जाना के खाता संख्या 161/153 के खसरा नं० 18/2
 वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अतिक तथ्यों को दोहराते
 नहीं करने के कारण निरह धृन्त्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

नहीं रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा निरह
 प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता
 जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शमित क्रिया गया।
 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सचुती के आधार पर राज्यद्वारा को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण क्रिया
 शमित क्रिया एवं प्रतिवादी संख्या 8 परीकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के
 कथनों के समर्थन में ईकबाल दादा पेश किया गया। ईकबाल दादा गस्टीक क्रिया जाकर
 नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने
 6 के पक्ष में त्याग क्रिया जा चुका है इसलिये वाद भीम वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 6 के

प्रतिवादी सूची



उपखण्ड आधिका (राजस्व)
 नोडर (हनुमानगढ़)

25

सूनाया गया।

निर्यात आज दिनांक 28/3/2024 को मरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इंजलस में
 जाभा दाखिल दफ्तर ही।

जाकर शामिल मिलने की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तदनुसार तकमील
 जावे ब्यय बाद उभयपक्ष अपना अपना बहिन करे। इसी आधय की पर्वा डिकी जायी की
 किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहने ही वा बाद सहनमयवे राजस्व रिकार्ड में अंकन किया
 में अंकन करने हेतु इंजराय प्रार्थना पत्र के सलान 5000/- के स्टाम तकमीलन शामिल
 1, 6 को बहिब का खातेदार काशतकर धारित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड
 दादा सहीराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या
 खसरा नो 142/2 की 3.9200 हैव कुल 20.0190 हैव भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के
 खसरा नो 18/2 की 2.3400, 30/8.7260, 30/1 की 0.3870, 141/1 की 4.6660,
 किया जाकर धारणा की जाती है कि रोही मौजा दुर्जाना के खाला संख्या 161/153 के
 साक्ष्य सर्जती एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर बाद वादी साबित होने के कारण डिकी
 करने एवं परेकार राज का किस्ती प्रकार का ऐजराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत
 अतः वादी के वादी की प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के बाद को स्वीकार

न्यायित है।

किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम ड्यूटी कायम की जानी
 होने के कारण काबिल डिकी है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5, 7 ने अपने हकों का त्याग
 सर्जत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर बस्था होते है के आधार पर बाद वादी साबित
 वादी के बाद को प्रतिवादीना के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य

नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)



की गई ।

पर्व दिनांक 18/3/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी
रिकार्ड में अंकन किया जावे अन्य वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करने ।

स्तम्भ तकमीलन शामिल किया जावे । यदि भूमि बैंक के रहने हो तो बाद रहनमर्जत राजस्व
अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु इतराथ प्रार्थना पत्र के सलनन 5000/- रु
वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 6 को बहिर् की खातिर कारवायार धारित किया जाता है इसी
राजस्व रिकार्ड में वादी के दावा सहैराम के नाम से दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर
, 141/1 की 4.6660 , खसरा नं 142/2 की 3.9200 हेक् कूल 20.0190 हेक् भूमि वर्तमान
संख्या 161/153 के खसरा नं 18/2 की 2.3400 , 30/8.7260 , 30/1 की 0.3870
कारण बाद वादी दिकी किया जाकर धारणा की जाती है कि रोही मौजा दुर्जाना के खाला
पर बाद वादी साक्ष्य सर्जता एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साहित होने के
अधिपक्ता वादी एवं परेकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने
आज यह वाद मुद्रा देवता कार उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष

राजस्व वाद संख्या 712 सन 2019 निर्णय दिनांक - 18/3/2020

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान कायलकटी अधिनियम 1955

प्रतिवादीगण

8. राजस्थान सरकार वारिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ ।
7. दर्जाना पुत्री बुधराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर ।
6. मागीराम पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर ।
- दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।
2. सरवती 3. मीरा 4. सन्धीष कुमारी 5. गोमती पुत्रीयान सहैराम जाति जाट निवासी हनुमानगढ ।
1. बुधराम पुत्र सहैराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ ।

बनाम

वादी

हनुमानगढ ।

1. खिलेन्द्र कुमार पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी दुर्जाना तहसील नोहर जिला

अनवान :-

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

(आडेर 20, कूल 6-7 जाला दिवानी)

पर्व दिकी